

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO) बायत..... मुकाम.....

..... अलाराम बनाम शम्भू राम कर्ण

किस्म मुकदमा २१ अगस्त १११/१२४ नं १४० सन् २०१४
RLR my

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
२३.५.१४	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>खेताराम शर्मा</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>१११/१२४ RLR my</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>३०.५.१४</u> को पेश हो।</p>	
३०/५/१४	<p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी/जिनाउ के नोटिस तामिल कम तामिल पत्रावली/इन्जुन डाउर पत्रावली कराना दिनांक ०१/०५/१४ को पेश हो।</p>	
०१/०५/१४	<p>पत्रावली काज न्याय मार्केट डार तामिधान-२०१४ केम्य डेरि उग्रम पंचायत बचत भौपजी में रखी गई प्रार्थी वकील उपरिपत्र। प्रार्थी वकील श्री <u>रघुपती बटस</u> सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बलाया प्रार्थी को अपने अधिवक्ता के चारों ओर पत्र के नेवम स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिये प्रार्थी डा नेवमबनी आवेदन स्वीकार</p>	

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायत

विभा जाड नैषामवनी मोवे विभा जावे ।
मलः प्राथी डा नैषामवनी मोवेडन
स्वीडर विभा जाड लक्ष्मीलडा वाप्रतु डा उमिभनर
नियुक्त विभा जातु ई व मोवेडा विभा जातु ई वि
भाप स्वमं या मळी मपने अधिनस्थ विमी भी भू
मामिलेय निरिक्षक से प्राथी के आलेगारी घेली की
पक्षी नैषामवनी दोनो पक्षों से नोटित जाती उर दोनो
पक्षों के लबाकु मोडे पर उमिभनर खुलु जमाडाडर उर ।
पालना रिपोर्टे शात होने पर आमिल पभावली डा,
पभावली फेमल खुफर डा, डर्ज नामर ले उम डा,
दाखिल इफर डा ।


सहायक मजदूर (SDO)
बाप्रत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018

(केम्प कोर्ट, बायतु भोपजी)

क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 562
प्रार्थी बनाम

दिनांक:- 7/5/2018
विप्रार्थीगण

1. श्री जसाराम पुत्र नवलाराम जाति
जाट निवासी रामसरिया, बायतु भोपजी
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. श्री शम्भूराम पुत्र मोडाराम वगैरा 16 जाति
जाट निवासी रामसरिया, बायतु भोपजी
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 140/18

आदेश

मौजा बेरड़ों की ढाणी पटवार हल्का बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 897/589 रकबा 20.09 बीघा व मौजा रामसरिया के खेत खसरा नम्बर 610/395, 610/378 रकबा कमशः 04.05, 15.10 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के चारो तरफ सेढा पड़ोसियों को नोटिस देने के बाद, प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाकर व सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/ 563-67
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

सह (हेताराम चौहान) DO
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 7/5/2018

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री जसाराम पुत्र नवलाराम ।
4. विप्रार्थी श्री शम्भूराम पुत्र मोडाराम वगैरा 16।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु